

भारत भवन न्यास, भोपाल
कैटीन (स्वाद कैफेटेरिया) किराए पर संचालन हेतु
निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रदाता व्यक्ति/संस्था का पूरा नाम
2. पिता/पति (यदि लागू हो)
3. आधार नम्बर(छायाप्रति संलग्न करें)
4. दूरभाष/मोबाइल नंबर
5. वर्तमान पता
6. स्थायी पता
7. संस्था का पंजीयन क्रमांक(छायाप्रति संलग्न करें)
8. आयकर की स्थायी लेखा संख्या (PAN)----- (छायाप्रति संलग्न करें)
9. कैटीन/रेस्टोरेन्ट चलाने का अनुभव.....
.....
.....
(दस्तावेज संलग्न करें)
10. कैटीन का प्रस्तावित मासिक किराया
(शब्दों में).....
11. भारत भवन कर्मचारियों को खाद्य सामग्री पर प्रस्तावित देय रियायत का प्रतिशत
12. किन्हीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सत्यापन कराएँ, जो निविदा प्रस्तुतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानते हों—

1. हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
मोबाइल नम्बर.....

2. हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
मोबाइल नम्बर.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....
नाम :
सील

2.

भारत भवन की कैटीन (स्वाद कैफ़ेटेरिया) आवंटन के नियम एवं शर्तें—

1. कैटीन की दरें निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जा सकेंगी। निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से 22 जनवरी 2018 को अपराह्न 3 बजे तक कार्यालयीन समय में भारत भवन कार्यालय से रु. 500/- (वापसी योग्य नहीं) नगद भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। निविदा प्रपत्र भारत भवन की वेबसाइट www.bharatbhawan.org से भी डाउनलोड किए जा सकेंगे।
2. डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य रुपये 500/- का "भारत भवन न्यास" के नाम जारी अलग से डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
3. पूर्ण रूप से व्यवस्थित भरे हुए सीलबंद निविदा प्रपत्र 23 जनवरी 2018 को शाम 5.00 बजे तक भारत भवन कार्यालय में निर्धारित पेटी में डाले जा सकेंगे।
4. निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 60,000/- (साठ हजार) की धरोहर राशि (अमानत राशि) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "भारत भवन न्यास" के नाम से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाना है। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। जिन निविदाकर्ताओं की दरें मान्य की जावेंगी उनकी धरोहर राशि अनुबन्ध समाप्त होने के उपरांत ही नियमानुसार वापस की जावेगी तथा जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। कार्यादेश जारी होने के पश्चात् निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात की जा सकती है। जिन निविदाकर्ताओं की निविदा मान्य नहीं होगी उनकी धरोहर राशि कैटीन आवंटन संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वापस कर दी जावेगी।
5. कैटीन का न्यूनतम मासिक किराया रुपये 18000/- निर्धारित है। अतः इससे कम प्रस्तावित मासिक किराये के निविदा प्रस्ताव स्वतः अमान्य हो जायेंगे। अपूर्ण एवं अव्यवस्थित निविदा प्रपत्र भी अमान्य होंगे।
6. भारत भवन का स्वाद कैफ़ेटेरिया किराये पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य व्यावसायिक नहीं है बल्कि भारत भवन के कार्यक्रमों एवं यहाँ आने वाले कलारसिकों, गणमान्य नागरिकों एवं कलाकारों के लिए उत्तम स्वल्पाहार की व्यवस्था का है, अतः प्राप्त प्रस्तावों में उच्चतम किराये के स्थान पर कार्यानुभव एवं गुणवत्ता के आधार पर भारत भवन द्वारा गठित समिति प्राप्त निविदाओं का परीक्षण करेगी एवं निविदाकारों से साक्षात्कार कर अपने विवेकानुसार निर्णय लेगी।
7. सफल निविदाकार को उसके स्वयं के व्यय पर एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करने पर उसे प्रथमतः एक वर्ष के लिए कैटीन आवंटित की जा सकेगी।
8. एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भारत भवन द्वारा तत्समय गठित समिति की अनुकूल अनुशंसा पर मासिक किराये की राशि में वार्षिक 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ अवधि बढ़ाई जा सकेगी। अवधि बढ़ाए जाने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय पर पुनः एक अनुबंध पत्र सम्पादित कराना होगा।
9. कैटीन संचालक की किसी भी गतिविधि से किराये पर दी जा रही सम्पत्ति को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति जमा सुरक्षा निधि से की जा सकेगी। अधिक नुकसान होने की स्थिति में कैटीन संचालक को इसकी भरपाई करनी होगी। सामान्य स्थिति में कैटीन खाली करते समय सुरक्षा राशि बगैर किसी ब्याज के कैटीन संचालक को वापस की जा सकेगी।
10. कैटीन का अग्रिम मासिक किराया सफल निविदाकार हर माह के प्रथम सप्ताह में आवश्यक रूप से भारत भवन कार्यालय में भुगतान कर रसीद प्राप्त करेगा।
11. उक्त कैटीन के सुचारु संचालन हेतु सफल निविदाकार अर्थात् कैटीन संचालक अपने सहयोगी/कर्मचारी रख सकेगा परन्तु उनके कार्य व्यवहार एवं अन्य गतिविधियों से अगर भारत भवन एवं उसकी प्रतिष्ठा को कोई क्षति पहुँचती है तो उसका उत्तरदायी कैटीन संचालक होगा।
12. किरायाधीन कैटीन परिसर में उपलब्ध सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैटीन संचालक की होगी एवं कैटीन खाली करते समय उक्त सामग्री सुरक्षित रूप में भारत भवन को वापस की जायेगी।
13. कैटीन संचालन के लिए यदि किसी शासकीय/अशासकीय संस्था/विभाग से किसी अनुमति या प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो वह भारत भवन की पूर्व सहमति से कैटीन संचालक प्राप्त कर सकेगा।
14. भारत भवन की निर्धारित समिति समय-समय पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगी।

3.

15. कैटीन खुलने का समय 01 फरवरी से 31 अक्टूबर तक दोपहर 02 से रात 08 बजे तथा 01 नवंबर से 31 जनवरी तक दोपहर 01 से शाम 07 बजे तक निर्धारित है। कार्यक्रमों के दिनों में भारत भवन की आवश्यकतानुसार कैटीन खोली जायेगी। भारत भवन पूर्णतः बंद होने के दिन कैटीन भी बंद रखी जायेगी।
16. कैटीन संचालक द्वारा भारत भवन के कार्यक्रमों/आयोजनों में सामग्री समय पर प्रदाय करनी होगी तथा किसी भी प्रकार का विलम्ब स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।
17. कैटीन संचालक द्वारा भारत भवन कर्मचारियों को निर्धारित दर पर समान गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध करानी होगी। सामग्री की दरें भारत भवन की समिति द्वारा अनुमोदित होंगी तथा इन स्वीकृत दरों की सूची कैटीन में प्रदर्शित की जायेगी।
18. कैटीन में भारत भवन द्वारा आयोजित, अनुमोदित भोजादि कार्यक्रमों के अलावा अन्य किसी तरह के बाहरी सार्वजनिक भोज, पार्टियां, मीटिंग, रिहर्सल एवं इतर गतिविधियाँ आयोजित करना पूर्णतः वर्जित होगा। कैटीन परिसर में किसी व्यक्ति/संस्था की प्रचार-सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी।
19. भारत भवन परिसर में कैटीन के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित पोस्टर लगाना वर्जित होगा।
20. कैटीन संचालन के लिए विद्युत एवं उपलब्ध विद्युत सामग्री/फर्नीचर प्रदान किया जायेगा। विद्युत का उपयोग प्रकाश, पंखे, फ्रिज, मिक्सर के लिए ही किया जा सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार से विद्युत उपयोग/उपभोग करना वर्जित होगा।
21. कैटीन संचालक कैटीन की खाद्य सामग्री आदि की गुणवत्ता बनाये रखेगा और अगर खाद्य सामग्री के कारण किसी ग्राहक/उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी कैटीन संचालक की होगी।
22. यदि कैटीन के संचालक द्वारा उपर्युक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो भारत भवन के पास कैफेटेरिया की तत्काल प्रभाव से किरायेदारी समाप्त कर क्षतिपूर्ति स्वरूप अमानत राशि जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
23. कैटीन संचालक कैटीन का संचालन स्वयं करेगा तथा किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा और न ही किराये पर देगा।
24. कैटीन परिसर में किसी भी तरह का बदलाव एवं पुनर्निर्माण आदि कैटीन संचालक नहीं करेगा।
25. सामान्य परिस्थितियों में किसी भी एक पक्षकार की ओर से तीन माह की पूर्व सूचना देकर कैटीन की किरायेदारी समाप्त करने पर सुरक्षा राशि लौटा दी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
26. कैटीन संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व कैटीन संचालक का होगा अतएव जिन परिस्थितियों का उल्लेख इस प्रपत्र में नहीं किया गया है उनके लिए भी कैटीन संचालक उत्तरदायी रहेगा।
27. किसी भी निविदा प्रस्ताव को मान्य करने अथवा सभी निविदा प्रस्तावों को अमान्य करने अथवा किसी भी समय बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त कर कैटीन खाली कराने का अधिकार न्यासी सचिव, भारत भवन के पास सुरक्षित रहेगा।

कथन

मैं कथन करता हूँ कि निविदा प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित जानकारी सत्य है एवं उसके नियम एवं शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....

नाम :

सील

.....